शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण: NEP 2020 एवं परिवर्तित परिस्तिथियों के संदर्भ में

डॉ सतीश कुमार
प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, मेरठ कॉलेज, मेरठ
अर्जुन राम
रिसर्च स्कॉलर, राजनीति विज्ञान, मेरठ कॉलेज, मेरठ
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उ०प्र०)

सारांश–

वर्तमान युग में महिला सशक्तिकरण केवल एक सामाजिक आवश्यकता ही नहीं अपितु राष्ट्र निर्माण की एक मूलभूत शर्त बन गया है। शिक्षा महिलाओं में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, और सामाजिक एवं राजनीतिक भागीदारी को सशक्त बनाने का एक प्रमुख स्तंभ हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP) ने शिक्षा को अधिक समावेशी, लचीला और कौशलोन्मुख बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। इसमें बालिकाओं की शिक्षा, डीजिटल लर्निंग, और लैंगिक समावेशन पर विशेष बल दिया गया है। कोविड–19 महामारी के बाद डीजिटल शिक्षा की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गयी, परंतु इस संक्रमण काल में डीजिटल संसाधनों की कमी और सामाजिक प्रतिबंधों ने ग्रामीण महिलाओं के लिए शिक्षा की राह को कठिन बना दिया। फिर भी कई महिलाओं ने ऑनलाइन एवं सरकारी कार्यकर्मों के माध्यम से नए अवसरों को अपनाया और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की हैं। यह अध्ययन 2020 के बाद की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक परिस्तिथियों की पृष्ठभूमि में महिला सशक्तिकरण की स्तिथि का विश्लेषण करता हैं।

मुख्य बिंदु – महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आत्मनिर्भरता, डिजीटल शिक्षा, कोविड–19

अध्ययन के उद्देश्य–

1. महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्तिथि का अध्ययन करना।
2. महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका का अध्ययन करना।
3. महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्ययन करना।

प्रस्तावना–

भारत जैसे विकासशील देश में महिला सशक्तिकरण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति का अनिवार्य तत्व हैं। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका सदैव से महत्वपूर्ण रही हैं, परन्तु उन्हें लम्बे समय तक समान अधिकार, शिक्षा और निर्णय लेने की स्वतंत्रता से वंछित रखा गया। आधुनिक भारत में महिला सशक्तिकरण एक व्यापक आंदोलन का रूप ले चुका है, जहाँ शिक्षा को सबसे सशक्त माध्यम माना जा सकता हैं। शिक्षा न केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम हैं, बल्कि यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने, अपने अधिकारों को समझने और सामाजिक कुरीतियों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करती हैं। इसके साथ–साथ शिक्षा उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा अग्रसर करती हैं और रोजगार के अवसरों से भी जोड़ती हैं। एक शिक्षित और कुशल महिला अपने परिवार, समुदाय और राष्ट्र के लिए प्रेरणा बन सकती हैं।

वर्ष 2020 भारत के लिए कई मायनों में परिवर्तनकारी रहा है– राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लागू होना और कोविड– 19 महामारी का प्रभाव। इस कालखंड ने शिक्षा के स्वरूप को पूरी तरह से बदल दिया है। डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन प्रशिक्षण और महिला केंद्रित योजनाओं ने जहाँ एक ओर अनेकों अवसरों के नए द्वार खोले तो वही दूसरी ओर डिजिटल संसाधनों की असमानता और सामाजिक बाधाओं ने महिलाओं को पीछे धकेलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अध्ययन के माध्यम से शिक्षा ने 2020 के बाद महिलाओं के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तिथि में क्या परिवर्तन आया है और क्या वास्तव में यह प्रयास उन्हें सशक्त बनाने में सफल रहे है आदि के विश्लेषण का प्रयास किया गया है।

महिला सशक्तिकरण की अवधारणा–

महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को अपने जीवन से जुड़े निर्णय लेने की स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और सामाजिक समानता प्रदान करना। यह केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता तक सीमित न रहकर महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करने की प्रक्रिया है। जब महिलाएँ अपने अधिकारों, संसाधनों और अवसरों के प्रति जागरूक होकर उनका उपयोग करती हैं, तभी वास्तविक सशक्तिकरण संभव होता है। महिला सशक्तिकरण का महत्व समाज और राष्ट्र के विकास से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। यदि महिलाएँ शिक्षित, आत्मनिर्भर और जागरूक होंगी, तो वे अपने परिवार और बच्चों के भविष्य को बेहतर बना सकेंगी। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के स्तर में व्यापक सुधार होता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व बैंक की विभिन्न रिपोर्टें इस बात पर बल देती हैं कि जहाँ महिलाओं को समान अधिकार और अवसर मिलते हैं, वहाँ सामाजिक और आर्थिक प्रगति की गति अधिक तेज होती है।

इतिहास में महिलाओं की स्तिथि समय–समय पर बदलती रही है। प्राचीन भारत में महिला शिक्षा, राजनीति और धर्म के क्षेत्र में सक्रिय थी लेकिन मध्यकाल आते–आते सामाजिक पाबन्दियों बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा सती प्रथा जैसी अनेकों कुप्रथाओं ने उनकी स्तिथि को सीमित कर दिया। आज आधुनिक युग में विशेष रूप से संविधान में मिले समान अधिकारों और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के चलते महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है।

महिला सशक्तिकरण के मुख्य आयाम

1. शैक्षिक सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण की नींव शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा महिलाओं को ज्ञान, कौशल और जागरूकता प्रदान करती है। शिक्षित महिला न केवल व्यक्तिगत रूप से सक्षम बनती है, बल्कि अपने परिवार और समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत थी, जबकि पुरुषों की 82.14 प्रतिशत। यह अंतर स्पष्ट करता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी महिलाओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य 2030 तक महिला साक्षरता दर को 100 प्रतिशत तक पहुँचाना है और लड़कियों के लिए शिक्षा को प्राथमिकता देना है। यूनेस्को (2020) की रिपोर्ट बताती है कि यदि सभी लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा प्राप्त हो जाए तो 1.2 करोड़ से अधिक बाल विवाह रोके जा सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि शिक्षा केवल व्यक्तिगत उन्नति का माध्यम नहीं है, बल्कि सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने और समानता पर

आधारित समाज बनाने में भी सहायक है। शिक्षा महिलाओं को आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता प्रदान करती है, इसलिए शैक्षिक सशक्तिकरण को महिला सशक्तिकरण की आधारशिला माना जाता है।

2. आर्थिक सशक्तिकरण

आर्थिक रूप से सशक्त महिला अपने जीवन में आत्मनिर्भर होती है और समाज व राष्ट्र की प्रगति में सक्रिय भूमिका निभाती है। विश्व बैंक (2022) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर मात्र 24 प्रतिशत है, जबकि वैश्विक औसत 47 प्रतिशत है। इसका अर्थ है कि महिलाएँ अभी भी आर्थिक क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रही हैं। NSSO (2019) के आँकड़े भी बताते हैं कि स्वरोजगार में महिलाओं की भागीदारी केवल 11 प्रतिशत है। सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिए 'स्टैंड–अप इंडिया' और 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' जैसी पहलें की हैं। ILO (2021) के अनुसार यदि भारत में महिलाओं को समान आर्थिक अवसर दिए जाएँ तो देश का GDP लगभग 27 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। यह सिद्ध करता है कि महिला आर्थिक सशक्तिकरण केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।

3. राजनीतिक सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण का एक अहम आयाम राजनीतिक भागीदारी है। जब महिलाएँ निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बनती हैं, तो शासन अधिक संवेदनशील और समावेशी बनता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन (1992) के तहत पंचायती राज संस्थाओं में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गईं। वर्तमान में 21 राज्यों ने यह आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर दिया है। इससे लाखों महिलाओं को राजनीति में प्रवेश का अवसर मिला। 2023 में पारित 'महिला आरक्षण विधेयक' के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में भी 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। यह कदम महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक है। वर्तमान में संसद में महिलाओं की भागीदारी लगभग 15 प्रतिशत है, जबकि वैश्विक औसत 26.5 प्रतिशत। इसलिए राजनीतिक सशक्तिकरण केवल अधिकार प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र को अधिक संतुलित और न्यायपूर्ण बनाने की प्रक्रिया है।

4. सामाजिक–सांस्कृतिक सशक्तिकरण

महिलाओं के लिए सामाजिक–सांस्कृतिक सशक्तिकरण का अर्थ है कि वे बिना किसी भेदभाव या पूर्वाग्रह के स्वतंत्र जीवन जी सकें। लंबे समय तक चली पितृसत्तात्मक परंपराओं ने महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित रखा, किंतु शिक्षा और संवैधानिक अधिकारों ने उन्हें नए अवसर प्रदान किए। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–5 (2019–21) के अनुसार भारत में लिंगानुपात 1020 तक पहुँच गया है और लगभग 88.7 प्रतिशत महिलाएँ अब अपने स्वास्थ्य संबंधी निर्णय स्वयं ले रही हैं। फिर भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। UN Women (2021) के अनुसार विश्व स्तर पर लगभग 30 प्रतिशत महिलाएँ और भारत में 29.3 प्रतिशत महिलाएँ घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। यह आँकड़ा दर्शाता है कि सामाजिक–सांस्कृतिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया अभी अधूरी है। जब समाज समानता, सम्मान और न्याय को अपनी सांस्कृतिक धारा में शामिल करेगा, तभी महिलाओं का वास्तविक सशक्तिकरण संभव होगा।

5. डिजिटल और तकनीकी सशक्तिकरण

डिजिटल युग ने महिलाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर खोले हैं। इंटरनेट और तकनीक तक पहुँच से महिलाएँ वैश्विक प्रतिस्पर्धा में शामिल हो रही हैं। यद्यपि IAMAI (2023) के अनुसार भारत में

इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 35 प्रतिशत है, जबकि पुरुषों की 65 प्रतिशत। यह लैंगिक असमानता डिजिटल क्रांति के लाभ को सीमित कर रही है। सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन (2015) के माध्यम से लाखों महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान की है। NITI Aayog (2021) की रिपोर्ट के अनुसार, ई–कॉमर्स और गिग इकॉनमी से महिलाओं को व्यापक स्तर पर रोजगार और उद्यमिता के अवसर मिले हैं। GSMA Mobile Gender Gap Report (2022) में यह निष्कर्ष निकाला गया कि यदि महिलाओं की मोबाइल और इंटरनेट तक पहुँच बढ़ाई जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का लाभ हो सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि डिजिटल सशक्तिकरण न केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम है, बल्कि राष्ट्रीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी गति देता है।

शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण का संबंध–

शिक्षा को महिला सशक्तिकरण की सबसे मजबूत और प्राथमिक नींव माना जाता है। यह न केवल ज्ञान का स्रोत है बल्कि सामाजिक बदलाव, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का प्रमुख माध्यम भी है। एक शिक्षित महिला समाज की रीढ़ होती है क्योंकि वह केवल स्वयं को ही नहीं बल्कि अगली पीढ़ी को भी सशक्त बनाती है।

महिला जीवन के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षा का प्रभावः

1. रोजगार और आर्थिक भागीदारी पर शिक्षा का प्रभाव–

शिक्षा महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और रोजगार के अवसरों को गहराई से प्रभावित करती है। यह केवल ज्ञान और कौशल ही नहीं प्रदान करती, बल्कि आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ाती है। इसी कारण से शिक्षित महिलाएँ रोजगार की तलाश और आर्थिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय होती हैं। यूनेस्को की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि यदि भारत की सभी लड़कियाँ अपनी शिक्षा पूरी करके कार्यक्षेत्र में शामिल हों, तो 2025 तक देश की जीडीपी में लगभग 770 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि संभव है। हाल के आँकड़े भी इस प्रभाव को दर्शाते हैं। 2017–18 से 2022–23 के बीच ग्रामीण महिलाओं की श्रम भागीदारी दर 24.6 प्रतिशत से बढ़कर 41.5 प्रतिशत और शहरी महिलाओं की 20.4 प्रतिशत से बढ़कर 25.4 प्रतिशत तक पहुँची है। उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाएँ संगठित क्षेत्र, प्रशासनिक सेवाओं और पेशेवर नौकरियों में अधिक सक्रिय पाई जाती हैं, जबकि सीमित शिक्षा प्राप्त महिलाएँ कृषि या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत रहती हैं। हालाँकि सामाजिक रूढ़िवादिता और परंपरागत धारणाएँ अभी भी महिलाओं के पूर्ण आर्थिक सशक्तिकरण में अवरोध हैं, लेकिन शिक्षा ने धीरे–धीरे इस स्थिति में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह स्पष्ट करता है कि शिक्षा महिलाओं के आर्थिक उत्थान और राष्ट्र के विकास की ठोस नींव है।

2. राजनीतिक भागीदारी और निर्णय लेने की भूमिका–

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और निर्णय लेने की भूमिका उनके सशक्तिकरण का एक अहम आयाम है। घरेलू स्तर पर महिलाएँ अब पहले की तुलना में अधिक सक्रिय हो गई हैं। स्वास्थ्य संबंधी फैसलों, परिवार की यात्राओं और बड़े खर्चों में उनकी राय को महत्व दिया जाने लगा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के अनुसार, NFHS–4 में जहाँ 84 प्रतिशत विवाहित महिलाएँ इन घरेलू निर्णयों में शामिल थीं, वहीं NFHS–5 में यह बढ़कर 88.7 प्रतिशत हो गई हैं। यह दर्शाता है कि शिक्षा और जागरूकता ने महिलाओं को अधिक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाया है। राजनीतिक भागीदारी की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति अभी भी संतोषजनक नहीं है। हाल ही में हुए 2024 के लोकसभा चुनावों में महिला सांसदों की हिस्सेदारी मात्र 14 प्रतिशत रही, जो 2019 के लगभग बराबर है। यह

स्थिति बताती है कि उच्च शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के बावजूद महिलाओं को अभी तक राजनीति में बराबर प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। हालाँकि, पंचायती राज संस्थाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण ने स्थानीय स्तर पर उनकी भागीदारी को बढ़ावा दिया है। गाँवों और कस्बों की महिलाएँ नेतृत्व की भूमिका निभा रही हैं, जिससे उनकी राजनीतिक समझ और अनुभव गहराया है। स्पष्ट है कि शिक्षा और अवसर मिलने पर महिलाएँ न केवल घर बल्कि समाज और राजनीति दोनों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता रखती हैं। धीरे—धीरे उनकी बढ़ती जागरूकता भविष्य में राजनीति में समान प्रतिनिधित्व का मार्ग प्रशस्त करेगी।

3. महिला स्वास्थ्य और मातृ मृत्यु दर पर शिक्षा का प्रभाव

महिला शिक्षा का मातृ स्वास्थ्य और मातृ मृत्यु दर पर अत्यंत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब महिलाएँ शिक्षित होती हैं, तो वे गर्भावस्था के दौरान नियमित स्वास्थ्य परीक्षण (एएनसी), सुरक्षित प्रसव और संस्थागत स्वास्थ्य सेवाओं का अधिक उपयोग करती हैं। भारत में मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) 2014—16 के 130 से घटकर 2018—20 में 97 प्रति एक लाख जीवित जन्म हो गया है। यह उपलब्धि केवल सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं और सुविधाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि महिलाओं की बढ़ती साक्षरता और जागरूकता का भी बड़ा योगदान है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि जहाँ महिला शिक्षा का स्तर ऊँचा है, वहाँ प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल की पहुँच अधिक होती है। शिक्षित महिलाएँ पोषण, टीकाकरण और संतुलित आहार के महत्व को समझती हैं, जिससे जटिलताओं और मृत्यु दर में कमी आती है। NFHS—5 के अनुसार 89 प्रतिशत प्रसव संस्थागत हुए, जो NFHS—4 में 79 प्रतिशत थे। यह सुधार स्पष्ट करता है कि महिला शिक्षा मातृ स्वास्थ्य सुधार और मातृ मृत्यु दर घटाने में एक निर्णायक कारक है।

4. परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य

परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिला शिक्षा ने महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। शिक्षित महिलाएँ पारिवारिक नियोजन की विभिन्न विधियों जैसे कंडोम, गोलियाँ और नसबंदी को अधिक अपनाती हैं। NFHS—5 के आँकड़ों के अनुसार विवाहित महिलाओं में 66.7 प्रतिशत किसी न किसी परिवार नियोजन विधि का उपयोग करती हैं, जो NFHS—4 के 53.5 प्रतिशत से अधिक है। शिक्षा से महिलाओं में प्रसव के बीच उचित अंतराल रखने और संतुलित परिवार की अवधारणा को समझने की जागरूकता बढ़ी है। इसी प्रकार प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी के कारण महिलाएँ अवांछित गर्भधारण और मानसिक तनाव से बच पाती हैं। NFHS—5 के अनुसार कुल प्रजनन दर घटकर 2.0 हो गई है, जबकि NFHS—4 में यह 2.2 थी। इसके साथ ही परिवार नियोजन की अनपेक्षित आवश्यकता भी 12.9 प्रतिशत से घटकर 9.4 प्रतिशत रह गई है। इस प्रगति का श्रेय न केवल सरकारी जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को जाता है, बल्कि महिला शिक्षा को भी, जिसने महिलाओं को अपने स्वास्थ्य और परिवार संबंधी निर्णयों में अधिक सक्षम और जागरूक बनाया है।

5. विवाह की औसत आयु में बदलाव

भारत में विवाह की औसत आयु में पिछले कुछ दशकों में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। पहले कम उम्र में विवाह होना सामान्य माना जाता था, लेकिन अब शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक परिवर्तनों के कारण यह प्रवृत्ति धीरे—धीरे कम हो रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS—5) के अनुसार भारत में पहली शादी की औसत आयु 2005—06 में 17.2 वर्ष थी, जो 2019—21 में बढ़कर 19.2 वर्ष हो गई है। यह वृद्धि इस बात का संकेत है कि शिक्षा और आत्मनिर्भरता महिलाओं को विवाह का निर्णय टालने और जीवन में सही समय चुनने की क्षमता प्रदान कर रही है। इसके साथ ही बाल—विवाह की दर में भी गिरावट आई है। NFHS—5 के अनुसार 20—24 वर्ष की आयु वर्ग की

महिलाओं में से केवल 23.3 प्रतिशत की शादी 18 वर्ष से पहले हुई, जबकि NFHS–4 में यह दर 26.8 प्रतिशत थी। इसका सबसे बड़ा कारण शिक्षा है। जिन लड़कियों को शिक्षा नहीं मिली, उनमें 18 वर्ष से पहले विवाह की दर 48 प्रतिशत है, जबकि उच्च शिक्षा प्राप्त लड़कियों में यह केवल 4 प्रतिशत तक सीमित रह गई। इससे स्पष्ट है कि शिक्षा लड़कियों को न केवल विवाह की सही उम्र तक पहुँचने का अवसर देती है, बल्कि बाल–विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा को रोकने में भी अहम भूमिका निभाती है।

6. सामाजिक स्थिति, लैंगिक समानता और घरेलू हिंसा

शिक्षा महिलाओं की सामाजिक स्थिति को मजबूत करने और लैंगिक समानता स्थापित करने में निर्णायक भूमिका निभाती है। 2022 तक भारत में महिला साक्षरता दर 70.3 प्रतिशत तक पहुँच गई, जबकि पुरुषों की साक्षरता दर 84.7 प्रतिशत रही। यह अंतर धीरे–धीरे कम हो रहा है, जिससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा महिलाओं को आत्मविश्वास, सम्मान और समाज में अपनी पहचान बनाने की क्षमता प्रदान कर रही है। पढ़ी–लिखी महिलाएँ पारंपरिक लिंग–रूढ़ियों से मुक्त होकर स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम हो रही हैं। वे परिवार नियोजन, बच्चों की शिक्षा, घरेलू बचत और सामाजिक–आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। घरेलू हिंसा और दहेज जैसी सामाजिक कुप्रथाओं के खिलाफ भी शिक्षा का सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। शिक्षित महिलाएँ चुप रहने के बजाय कानूनी उपायों और सहायता संस्थानों की मदद लेती हैं। सरकार द्वारा संचालित महिला हेल्पलाइन, आश्रय गृह और परामर्श केंद्र जैसी योजनाएँ उन्हें सुरक्षा और सहयोग उपलब्ध कराती हैं। इस प्रक्रिया ने महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया है और उन्हें सुरक्षित वातावरण प्राप्त करने में सक्षम किया है। इस प्रकार शिक्षा केवल ज्ञान प्रदान नहीं करती, बल्कि महिलाओं में सामाजिक समानता, आत्मनिर्भरता और गरिमा की स्थापना का सशक्त साधन बनकर समाज को प्रगतिशील दिशा में ले जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं महिला सशक्तिकरण

29 जुलाई 2020 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) लागू की है जो 34 वर्षों बाद शिक्षा व्यवस्था में किया गया एक व्यापक सुधार है। इसका मुख्य उद्देश्य सर्वांगीण विकास, समावेशिता और कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना है।

1. समान अवसर एवं पहुँच

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP–2020) को भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक सुधार के रूप में देखा जा रहा है। यह नीति शिक्षा को समावेशी, लचीला और कौशल–आधारित बनाने पर बल देती है, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेष रूप से महिलाओं और बालिकाओं को समान अवसर प्राप्त हो सकें। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत थी, जो पुरुषों की तुलना में काफी कम थी। हालांकि 2021–22 में यह दर बढ़कर लगभग 70 प्रतिशत से अधिक हो गई, फिर भी शिक्षा में लैंगिक अंतर स्पष्ट है। NEP–2020 इसी अंतर को कम करने और महिलाओं को शिक्षा के हर स्तर पर समान पहुँच दिलाने का प्रयास करती है।

इस नीति में सभी वर्गों की महिलाओं और बालिकाओं के लिए समान शिक्षा की गारंटी दी गई है। ''जेंडर इन्क्लूसिव फंड'' का प्रावधान विशेष रूप से उन लड़कियों के लिए किया गया है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से आती हैं। यह फंड राज्यों को लिंग समानता के लिए योजनाएँ और कार्यक्रम चलाने में मदद करेगा। इससे ग्रामीण, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने में आसानी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी छात्रा को जाति, लिंग, भाषा या आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा से वंचित न रहना पड़े।

2. बहुभाषिकता और लचीलापन

महिला शिक्षा में बहुभाषिकता और लचीलापन भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। नीति के अनुसार प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में दी जाएगी, जिससे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने में सुविधा होगी। अनुसंधान से यह स्पष्ट हुआ है कि मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने वाली बालिकाओं की समझ और प्रदर्शन बेहतर होता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार, मातृभाषा आधारित शिक्षा से ग्रामीण बालिकाओं के बीच स्कूल छोड़ने की दर (dropout rate) लगभग 12 प्रतिशत तक कम हुई है।

3. कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा

महिलाओं के लिए कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा भी इस नीति का प्रमुख लक्ष्य है। NEP–2020 कहती है कि 2025 तक कम–से–कम 50 प्रतिशत छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ना होगा। इसका सीधा लाभ महिला छात्रों को मिलेगा, क्योंकि कौशल आधारित शिक्षा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के नए अवसर प्रदान करने में सहायक होगी। उदाहरण के लिए, आईटी, स्वास्थ्य, उद्यमिता और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में महिला भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अनिवार्य किया जा रहा है। श्रम और रोजगार मंत्रालय (2022) के आंकड़ों के अनुसार, संगठित क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी अभी भी मात्र 24 प्रतिशत है, जबकि अनौपचारिक क्षेत्र में यह लगभग 60 प्रतिशत है। कौशल आधारित शिक्षा इस असमानता को कम करने का माध्यम बन सकती है।

4. डिजिटल शिक्षा

डिजिटल शिक्षा भी महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। COVID–19 महामारी के दौरान जब अधिकांश शिक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चली गई, तब यह स्पष्ट हुआ कि ग्रामीण और गरीब परिवारों की लड़कियाँ डिजिटल साधनों से वंचित रह जाती हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण भारत में केवल 15 प्रतिशत महिलाओं के पास ही इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध थी। NEP–2020 इस डिजिटल अंतर (digital divide) को कम करने का प्रयास करती है और तकनीकी साधनों को शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाने की दिशा में काम करती है। डिजिटल शिक्षा के माध्यम से अब लड़कियाँ न केवल स्कूली शिक्षा बल्कि उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकती हैं। यूनिसेफ इंडिया (2021) की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिन राज्यों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, वहाँ बालिकाओं की उपस्थिति 18 प्रतिशत तक बढ़ी।

5. उच्च शिक्षा में सुधार

उच्च शिक्षा में सुधार भी महिलाओं के लिए इस नीति का एक सशक्त कदम है। भारत में महिला उच्च शिक्षा की स्थिति पहले की तुलना में सुधरी है, लेकिन अभी भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण

(AISHE) 2020–21 के अनुसार, भारत में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio & GER) 27.3 प्रतिशत है, जिसमें महिला छात्रों का GER 27.9 प्रतिशत और पुरुष छात्रों का 26.7 प्रतिशत है। यह पहली बार है जब महिलाओं ने पुरुषों को उच्च शिक्षा में पीछे छोड़ा है। यह प्रवृत्ति इस बात का संकेत है कि नीतिगत प्रावधानों का असर दिखाई देने लगा है। NEP–2020 महिला विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में लैंगिक समानता पर बल देती है, ताकि महिला शोधार्थियों और शिक्षाविदों को भी समान अवसर प्राप्त हो सके।

महिला सशक्तिकरण केवल शिक्षा प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक निर्णयों में सक्रिय भागीदारी दिलाना भी है। NEP–2020 यह मान्यता देती है कि महिलाएँ यदि गुणवत्तापूर्ण और कौशल आधारित शिक्षा प्राप्त करती हैं, तो वे समाज और राष्ट्र के विकास में अधिक प्रभावी योगदान दे सकती हैं। विश्व बैंक (2020) के अनुसार, यदि महिलाओं को समान अवसर दिए जाएँ तो भारत का GDP लगभग 27 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। यह आँकड़ा यह दर्शाता है कि शिक्षा और सशक्तिकरण का सीधा संबंध राष्ट्र की प्रगति से है। बदलती परिस्थितियों में यह भी महत्वपूर्ण है कि महिलाओं को केवल सैद्धांतिक शिक्षा ही न दी जाए, बल्कि उन्हें उद्यमिता, शोध, नेतृत्व और तकनीकी क्षेत्रों में भी आगे बढ़ने के अवसर मिलें। NEP–2020 में अनुसंधान और नवाचार (Research and Innovation) को बढ़ावा देने का प्रावधान है, जिससे महिला शोधार्थियों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। अभी भी भारत में कुल शोधार्थियों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 43 प्रतिशत है, जबकि विकसित देशों में यह आँकड़ा 50 प्रतिशत से अधिक है।

परिवर्तित परिस्थितियाँ और महिला सशक्तिकरण:

1. कोविड–19 का प्रभाव:

कोविड–19 महामारी ने महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को गहराई से प्रभावित किया। महामारी के दौरान जब शिक्षा का पूरा ढांचा ऑनलाइन माध्यम पर निर्भर हो गया, तब ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाएँ डिजिटल डिवाइड का सबसे अधिक शिकार हुईं। परिवारों में स्मार्टफोन, लैपटॉप और इंटरनेट जैसी सुविधाओं की कमी के कारण अनेक लड़कियाँ पढ़ाई से वंचित हो गईं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS–5, 2019–20) के अनुसार भारत में केवल लगभग 43 प्रतिशत महिलाएँ कभी इंटरनेट का प्रयोग कर पाती थीं, जबकि पुरुषों में यह अनुपात 62 प्रतिशत था। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और गंभीर रही, जहाँ केवल लगभग 34 प्रतिशत महिलाएँ ही इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाती थीं। लॉकडाउन के दौरान जब ऑनलाइन कक्षाएँ ही पढ़ाई का मुख्य साधन बन गईं, तब इस असमानता ने ग्रामीण बालिकाओं को और पीछे धकेल दिया। यहाँ तक कि जिन घरों में एक ही स्मार्टफोन था, वहाँ अक्सर प्राथमिकता लड़कों की शिक्षा को दी गई और लड़कियों को सीमित समय के लिए ही उपकरण उपलब्ध कराया गया। एक सर्वे के अनुसार ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में लगभग 41 प्रतिशत बालिकाओं को मोबाइल फोन का उपयोग दिन में एक घंटे से भी कम समय के लिए मिल पाता था। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि डिजिटल पहुँच के बिना महिला सशक्तिकरण की कल्पना अधूरी है।

2. तकनीकी अवसर

कोविड–19 महामारी ने महिलाओं के लिए तकनीकी अवसरों के नए द्वार भी खोले। ऑनलाइन कार्य और वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति के चलते महिलाओं ने घरेलू जिम्मेदारियों के साथ–साथ आर्थिक गतिविधियों में भी भाग लेना शुरू किया। डिजिटल कौशल सीखने वाली महिलाओं ने ऑनलाइन ट्यूशन, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और

ई–कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई। ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों की महिलाएँ भी सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से अपने उत्पाद बेचने लगीं। सरकार की ''डिजिटल इंडिया'' और ''स्टार्टअप इंडिया'' जैसी योजनाओं ने महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित किया। हाल की रिपोर्टों के अनुसार भारत में लगभग 20.5 प्रतिशत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) महिलाएँ चला रही हैं। हालाँकि जैसे ही उद्यम का आकार बड़ा होता है, महिलाओं की हिस्सेदारी घटकर 7 प्रतिशत तक रह जाती है। स्टार्टअप इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि 2024 के अंत तक 73,000 से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक के रूप में मौजूद हैं। यह आँकड़ा महिलाओं की बढ़ती उद्यमशीलता का संकेत देता है और यह स्पष्ट करता है कि तकनीक महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का साधन बन सकती है।

3. सामाजिक परिवर्तन

महामारी ने सामाजिक दृष्टिकोण को भी प्रभावित किया। घर में लंबे समय तक रहने और एक–दूसरे पर निर्भर रहने के कारण परिवारों ने महिलाओं की भूमिका को अधिक महत्त्व देना शुरू किया। इस दौर में यह साफ हो गया कि महिलाएँ केवल घरेलू कार्यों तक सीमित नहीं हैं बल्कि पेशेवर जीवन और निर्णय–निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्मों ने महिला अधिकारों और लैंगिक समानता पर चर्चाओं को व्यापक बनाया। युवाओं के बीच यह सोच गहराई कि समाज की प्रगति महिलाओं की समान भागीदारी के बिना संभव नहीं है। सरकार की योजनाएँ जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी इसका प्रमाण हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत लगभग 68 प्रतिशत ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए जबकि स्टैंड अप इंडिया में 77 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी महिलाएँ हैं। ये आँकड़े दर्शाते हैं कि न केवल समाज बल्कि नीति–निर्माण स्तर पर भी महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को प्राथमिकता दी जा रही है।

4. रोजगार में अवसर व चुनौतियाँ

रोजगार के क्षेत्र में स्थिति दोहरी रही। एक ओर महामारी के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएँ अनौपचारिक नौकरियों से बाहर हो गईं क्योंकि घरेलू कामगार, हस्तशिल्प, छोटे कारोबार और कृषि आधारित रोजगार बंद हो गए। लाखों महिलाओं की आजीविका पर संकट आ गया। दूसरी ओर औपचारिक और तकनीकी क्षेत्रों में नए अवसर भी बने। वर्क फ्रॉम होम की सुविधा ने आईटी, डिजाइनिंग, ऑनलाइन शिक्षण और अन्य डिजिटल कार्यों में महिलाओं की भागीदारी को आसान बनाया। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर 2017–18 में जहाँ केवल 23 प्रतिशत थी, वहीं 2023–24 में बढ़कर 41 प्रतिशत से अधिक हो गई। यह वृद्धि उत्साहजनक है और यह बताती है कि महिलाएँ आर्थिक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। फिर भी औपचारिक क्षेत्र में उनकी संख्या सीमित है और अधिकांश महिलाएँ अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं जहाँ सामाजिक सुरक्षा, समान वेतन और सुरक्षित कार्य वातावरण की कमी बनी रहती है। साथ ही घरेलू कार्यों और पेशेवर जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना महिलाओं के लिए आज भी बड़ी चुनौती है।

इस प्रकार परिवर्तित परिस्थितियों में महिला सशक्तिकरण को एक नई दिशा मिली है। कोविड–19 ने डिजिटल डिवाइड को उजागर करते हुए यह दिखाया कि शिक्षा और तकनीक तक समान पहुँच सुनिश्चित करना आवश्यक है। तकनीकी अवसरों ने महिलाओं को उद्यमिता और रोजगार के नए विकल्प दिए, सामाजिक परिवर्तन ने उनके योगदान को मान्यता दी और रोजगार के क्षेत्र में उनकी भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हालांकि चुनौतियाँ अब भी मौजूद हैं, जैसे ग्रामीण इलाकों में डिजिटल संसाधनों की कमी, औपचारिक क्षेत्र में सीमित अवसर और सामाजिक व सांस्कृतिक

बाधाएँ। यदि इन चुनौतियों को दूर किया जाए और शिक्षा, तकनीकी पहुँच तथा रोजगार सुरक्षा को मजबूत किया जाए, तो महिला सशक्तिकरण न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी निर्णायक योगदान देगा।

निष्कर्ष–

शिक्षा महिला सशक्तिकरण की सबसे सशक्त आधारशिला है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही महिलाएँ आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और सामाजिक बराबरी प्राप्त कर सकती हैं। एक शिक्षित महिला न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रगति करती है, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र को भी दिशा प्रदान करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें शिक्षा को सर्वसमावेशी, लचीला और कौशल–आधारित बनाने पर बल दिया गया है। इस नीति में बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिनसे उन्हें समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। नीति में जेंडर इन्क्लूसिव फंड, छात्रवृत्ति योजनाएँ, कौशल विकास कार्यक्रम और डिजिटल शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे महिलाएँ नए अवसरों तक पहुँच बना सकें। विशेष रूप से कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की संभावनाएँ बढ़ती हैं। हालाँकि, चुनौतियाँ भी अनेक हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़े वर्गों में अब भी बालिकाओं की शिक्षा में सामाजिक और आर्थिक अवरोध मौजूद हैं। कोविड–19 महामारी ने डिजिटल शिक्षा का महत्व तो बढ़ाया, किंतु डिजिटल संसाधनों तक असमान पहुँच के कारण ग्रामीण और गरीब परिवारों की बालिकाएँ पीछे रह गईं। लैंगिक भेदभाव, बाल विवाह, सामाजिक बंधन और रोजगार में असमानता जैसी समस्याएँ भी महिलाओं की प्रगति को सीमित करती हैं। इसके बावजूद अवसर व्यापक हैं। डिजिटल तकनीक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने शिक्षा, उद्यमिता और कौशल प्रशिक्षण के नए मार्ग खोले हैं। विभिन्न सरकारी योजनाएँ जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, महिलाओं को सशक्त बनाने में सहायक हो रही हैं। यदि इन नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और समाज में लैंगिक समानता की सोच को और प्रबल बनाया जाए, तो महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ सकती है। अंततः कहा जा सकता है कि शिक्षा ही महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर समानता दिलाने का सबसे प्रभावी साधन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त किया है। यदि इन अवसरों का सही उपयोग किया गया, तो भविष्य में भारत एक ऐसे समाज की ओर अग्रसर होगा जहाँ महिलाएँ समान रूप से सम्मानित, आत्मनिर्भर और सशक्त होंगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. अरोड़ा, सुधा (2021), स्त्री और समाज, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. चौधरी, रेखा (2022), कौशल और महिला उद्यमिता, हिंदी ग्रंथ मंदिर, लखनऊ।
3. रानी, सुनीता (2023), भारतीय शिक्षा और लैंगिक समानताः NEP 2020 के बाद, अकादमिक प्रेस, दिल्ली।
4. नीलिमा और मुखर्जी, प्राची (2023), डिजिटल विमेनः टेक्नोलॉजी एंड एम्पावरमेंट, सेज पब्लिकेशन्स।
5. जोशी, ममता (2020), महिला शिक्षा एवं विकासः आर्थिक और सामाजिक पहलू, वाणी प्रकाशन।
6. कुमार, के. (2020), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : सिद्धांत और परिप्रेक्ष्य, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 66 (4), 617–632।
7. कुमारी, सारथी (2020), महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस स्टडीज 2(1) 305–308।

8. कुमारी, सलोनी (2022), महिला सशक्तिकरण में की शिक्षा भूमिका : एक समाजशास्त्र अध्ययन।

9. खींची, सिंह, डॉ० राजेन्द्र (2023), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा महिला सशक्तिकरण : एक अध्ययन, इंटरनेशनल जर्नल, ऑफ एजुकेशन मोडर्न, मेने एप्लाइड सांइस एण्ड सौशल सांइस (IJMMASSS) , ISSN : 2581-9925 IMPACT Factor :6 882 Volume 05no (III) PP.66.

10. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालयः नई शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020), दस्तावेज https://www.education.gov.in

11. भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालयः https://wcd.nic.in

12. राष्ट्रीय महिला आयोग रिपोर्ट (2022–23), महिला शिक्षा व रोजगार पर वार्षिक रिपोर्ट https://ncw.nic.in.

13. नीति आयोग रिपोर्टस् : वीमेन इम्पावरमेंट इण्डिया, डिजिकल डिवाइड रिपोर्टस् https%//niti-gov-in.

14. यूनेस्को और यूनिसेफ रिपोर्ट्स (Post & COVID): Girls Education and Learning Loss in India https%//www-unicef-org.

15. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय–डिजिटल साक्षरता मिशन https:// www. meity. gov.in.

16. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की रिपोर्ट एनएसएस 77वां दौर, रोजगार और शिक्षा (2020–22)।

17. उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई), 2023 https://aishe.gov.in.

18. संयुक्त राष्ट्र महिला भारत रिपोर्ट https://india.unwomen.org

19. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) भारत रिपोर्ट

20. भारत में महिलाएं और कार्य (2020–2023 संस्करण) https%//www.ilo.org.